कम्युनिटी किचेन स्कीम की रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, नियम, कानून या संस्था इसके आड़े नहीं आ सकती। बावजूद इसके, अपने देश में आज भी आबादी के एक हिस्से के सामने दो वक्त भरपेट भोजन पाने की चुनौती बनी ठुई है।

मनोज शाह।।

देश में भूख से जूझती आबादी तक खाना पहुंचाने की स्कीम को लेकर मंगलवार को दिखा सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया समझा जा सकता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही केंद्र सरकार से कहा था कि राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी किचेन स्कीम की रूपरेखा तैयार की जाए। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश किए हलफनामे में प्रस्तावित स्कीम को लेकर ऐसी कोई नई सूचना नहीं थी, जिससे पता चलता कि उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है। दूसरी बात यह कि हलफनामा भी अंडरसेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने दायर किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही निर्देश है कि सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से ही हलफनामा दायर करवाया जाए।

स्वाभाविक ही इससे कोर्ट को ऐसा लगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को पर्याप्त तवज्जो नहीं दे रही है। सवाल कोर्ट के सम्मान का भी था। बहरहाल, इन तकनीकी सवालों से हटकर देखें तो किसी भी सभ्य समाज में यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि वहां किसी नागरिक के भूख से मरने की नौबत आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, नियम, कानून या संस्था इसके आड़े नहीं आ सकती। बावजूद इसके, अपने देश में आज भी आबादी के एक हिस्से के सामने दो वक्त भरपेट भोजन पाने की चुनौती बनी हुई है। कोरोना महामारी से उपजी स्थितियों ने हालात को और बदतर बनाया है।

बड़े पैमाने पर आजीविका के संकट से वंचित हुए लोगों में बहुत से ऐसे हैं, जिनका पुराना काम फिर से शुरू नहीं हो पाया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट भी इस स्थिति की पुष्टि करती है, जिसके मुताबिक दुनिया के 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101वां है। पिछले साल भारत 94वें नंबर पर था। पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी उससे अच्छी स्थिति में पाए गए। पाकिस्तान इस बार जहां 92वें स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश और नेपाल 76वें नंबर पर। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की मेथडॉलजी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिन पर विचार होना चाहिए।

फिर भी यह तथ्य अपनी जगह है कि देश की आबादी के एक हिस्से की हालत वाकई खराब है और उस तक समय पर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। पर यह सवाल अब भी बचा रहता है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात आई है कि कई राज्यों में मिलती–जुलती सी स्कीमें पहले से चल रही हैं। फिर यह भी है कि हर राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति भिन्न है। ऐसे में पूरे देश के हर जरूरतमंद के पास समय पर भोजन पहुंचाने का संकल्प पूरा करने का बेहतर तरीका शायद यही होगा कि केंद्र इसके लिए जरूरी फंड उपलब्ध कराने में जरूर सहयोग करे, लेकिन स्कीम का स्वरूप तय करने का काम आखिरकार राज्यों पर ही छोड़ दिया जाए।

ध्यानपूर्वक

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

इर्द–गिर्द दूसरे मुर्गे भी जमा हो गए और कौतूहलवश उस हीरे के टुकड़े को देखने लगे। उन्हीं में एक दूसरा अनुभवी मुर्गा भी था। वह हीरे के पास आया और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। इसके बाद उसने किसी ज्ञानी की भांति कहा– "मेरे प्यारे बच्चो! तुम नहीं जानते, यह हीरे का बेकार टुकड़ा है। एक चमकता हुआ पत्थर भर है, जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। हम इससे अपनी भूख नहीं मिटा सकते। अगर यही हीरा किसी जौहरी को मिला होता तो यह उसके लिए लाखों रूपयों का होता। हमारे लिए तो जौ और मक्का इस चमकते हुए हीरे से अधिक मूल्यवान हैं।"

यह सुनकर उस मुर्गे ने हीरा वहीं कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया और आगे भोजन की तलाश में बढ़ गया।

शिक्षा दृ हर वस्तु हर प्राणी के लिए मूल्यवान नहीं होती।

संपादकीय

लक्ष्य तक कैसे पहुंचें

सरकार ने लगभग 60 लाख एनआरआई को मतदान करने की प्राथमिकता दी है जो मतदान करने के पात्र हैं। लेकिन देश के ही प्रवासी मतदाता जिनकी आबादी लगभग 28.5 करोड़ (कुल पंजीकृत मतदाताओं का 38 प्रतिशत) है, उन्हें उनके काम करने की जगह पर वोट देने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 'कोई मतदाता न छूटे' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन इसे काफी सावधानीपूर्वक हर तरह से सोच–विचार करके ही अमल में लाया जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से ईवीएम या वीवीपैट के इस्तेमाल पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे में सरकार के ताजा कदम को क्या बड़ी ही चतुराई से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लांघकर किनारे से निकलने का एक प्रयास समझा जाए? दरअसल, आधार के साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली का मिलान न होने, नकली आधार रखने जैसे मामले तो हैं ही। यह आशंका बनी हुई है कि आधार कार्ड होने के बावजूद ग्रामीण और पिछड़े वर्ग को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जन्म और पहचान के लिए कई बार आधार को स्वीकार नहीं किया जाता है। निजता से जुड़े सवाल भी अपनी जगह कायम हैं। फिलहाल तो इसका जवाब निर्णयकर्ताओं के ही पास है। पर इतना जरूर स्पष्ट है कि अभी इस पहल को लेकर संदेह, सवाल और अविश्वास मिटे नहीं हैं।

प्रस्तावित 40 सुधारों की सूची में पेड न्यूज को अपराध बनाना और एफिडेविट में गलत जानकारी भरने वालों की सजा बढ़ाकर उसमें दो साल की कैद शामिल करना भी थे।

सरकार की दिलचस्पी

अनिल वर्मा।।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो दिन पहले ही चुनाव सुधार वाले विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है जिसमें आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की इजाजत दी गई है। बिल के मुताबिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों को साल में चार बार पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके साथ ही रक्षा कर्मचारियों के मतदान के लिए जेंडर न्यूट्रल चुनावी कानून बनाया जाएगा। अब महिला रक्षा कर्मचारी के पति भी उनके स्थान पर मतदान कर सकेंगे। मौजूदा कानून के मुताबिक, पुरुष रक्षा कर्मचारियों की पत्नियां उनके स्थान पर मतदान कर सकती हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही पेंडिंग चल रहे चुनाव सुधारों के लिए सरकार को लिखा था। उन प्रस्तावित 40 सुधारों की सूची में पेड न्यूज को अपराध बनाना और एफिडेविट में गलत जानकारी भरने वालों की सजा बढ़ाकर उसमें दो साल की कैद शामिल करना भी थे। यह बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार ने बताए गए सुधारों में से अन्य प्रस्तावों को नजरअंदाज करते हुए आधार को वोटर आईडी से लिंक करने को ही तवज्जो दी है।

कारण स्पष्ट लग रहा है कि साल 2022 की शुरुआत में पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भी आधार और वोटर आईडी

को लिंक करने के लिए सरकार का विशेष आग्रह हो सकता है। चुनाव आयोग, यूआईडीएआई और सरकार ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने के पीछे कुछ तर्क दिए हैं। जैसे कि इससे चुनाव प्रक्रिया आसान होगी और इसमें सुधार लाए जा सकेंगे। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट आधारित मतदान प्रक्रिया लागू करने में चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिलेगा और प्रॉक्सी वोटिंग को आसान बनाने के लिए मतदाताओं का सत्यापन करना भी आसान हो जाएगा। मार्च 2015 में जब एचएस ब्रह्मा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम यानी एनईआरपीएपी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। इसका एक उद्देश्य आधार और वोटर आईडी को लिंक करना भी था। लगभग उसी समय एक जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि आधार का इस्तेमाल राज्य द्वारा खाद्यान्न और रसोई बनाने के ईंधन के वितरण की सुविधा प्रदान करने के अलावा किसी और उद्देश्य से न किया जाए। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग का वोटर आईडी और आधार को जोड़ने का कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने से रोके जाने का फैसला आने के बाद लगभग 55 लाख मतदाता चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए।

जुलाई 2019 में लगभग 200 प्रबुद्ध नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) की दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेश उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिसमें ई–वोटिंग प्रणाली के तहत फिंगरप्रिंट और फेस बायोमीट्रिक्स इस्तेमाल करने की मांग की गई थी। पत्र में यह भी दलील दी गई थी कि आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग में बहुत अधिक मात्रा में खर्च के बावजूद असली मतदाता की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। साथ ही, कहा गया था कि मतदाताओं की सूची तैयार करने और मतदाताओं के डेटा एकत्र करने के लिए घर–घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना सबसे सटीक तरीका है।

सूडोकु नवताल-5406

सरल

6					7			
		8	2				7	5
	4			3				6
	7	1			2		5	
8				4				3
	2		8			9	6	
2				8			3	
4	3				9	8		
			3					9

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5405 का हल

7	4	6	9	1	5	8	3	2
1	5	2	8	3	7	4	6	9
9	3	8	2	6	4	7	1	5
8	6	4	7	9	1	5	2	3
5	2	7	3	4	6	9	8	1
3	9	1	5	8	2	6	7	4
2	7	9	1	5	8	3	4	6
6	1	5	4	7	3	2	9	8
4	8	3	6	2	9	1	5	7

अपना ब्लॉग

भारी मात्रा में हो रहा कार्बन उत्सर्जन

मोहन। दुनिया के प्रदूषित शहरों में दिल्ली–एनसीआर अव्वल है। भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। हम पराली पर सवाल उठा रहे हैं और किसानों को सुविधाएं देने की बजाय सारा दोष किसानों पर मढ़ रहे हैं। दुनियाभर में बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली में तकरीबन चार साल पूर्व एक करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत थे। इसमें तकरीबन 32 लाख कारें। 66 लाख से अधिक मोटरसाइकिल और स्कूटर थे। दो लाख पच्चीस हजार माल वाहक और 11 लाख से अधिक कैब। जबकि माल वाहक तिपहिया 68 हजार। 35 हजार से अधिक बसें, 31 हजार ई–रिक्शा और 30 हजार मैक्सी कैब शमिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ साल पूर्व प्रदूषण में इनकी भागीदारी 30 फीसदी से भी अधिक है। कारों से 20 फीसदी प्रदूषण फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहरों को पहले से शामिल कर रखा है, जिसमें दिल्ली चार प्रमुख शहरों में शामिल थी।